न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
33 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	08.06.2020	25.11.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1—दूध विक्रेता श्री बद्रीलाल यावद पुत्र श्री जंसीलाल यादव सैम्पल टेकन फ्रोम थार जीप महिन्द्रा डी.आई.आर जे 26 यू.ए. 2849 स्थान जैन नसिया के सामने देवली रोड टोक निवासी ग्राम रहीमपुरा पोस्ट लाम्बा तहसील व जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2—अप्रार्थीगण उपस्थित

:—निर्णय—: **दिनांक 25.11.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.02.2020 को समय 11.15 ए.एम पर दौराने ए गश्त जैन नसिया के सामने देवली रोड टोंक पर पहुॅचा वहा पर रोडवेज डिपो सवाई माधोपुर चौराहा की तरफ से जैन नसिया के सामने देवली रोड टोक की तरफ एक थारर जीप महेन्द्रा डी.आई.आर जे 26 यू.ए. 2849 वास्ते दूध विक्रय आ रहा था को जैन नसिया के सामने रूकवाकर अपना परिचय दिया एंव परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर अपना नाम बद्रीलाल यावद पुत्र श्री जंसीलाल यादव सैम्पल टेकन फ्रोम थार जीप महिन्द्रा डी.आई.आर जे 26 यू.ए. 2849 स्थान जैन नसिया के सामने देवली रोड टोक निवासी ग्राम रहीमपुरा पोस्ट लाम्बा तहसील व जिला टोंक उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर दूध का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.05 11:27:53 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु थार जीप महिन्द्रा डी.आई.आर जे 26 यू.ए. 2849 में 40-40 लीटर क्षमता के 3 केनों में मिश्रित दूध रखा

...रिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री बद्रीलाल यादव को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता बद्रीलाल यादव एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दूध विक्रेता से रखे हुये **मिश्रित दूध** मे से 2 लीटर नपवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री बद्रीलाल यादव को रू0 80/–अक्षरे अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मिश्रित दूध** 2 लीटर को हिला मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर 4 साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियो मे बराबर–बराबर भरकर चार भाग तैयार कर (प्रत्येक भाग 500 मिली) प्रत्येक भाग मे 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयर टाईट बंद कर एंव नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2446 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2446 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. बद्रीलाल यादव के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर करखाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/787 दिनांक 06.03.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/265/एक्ट/2020/318 दिनांक 24.02.2020 अनुसार बद्रीलाल यादव से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **मिश्रित दूध** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण मे अप्राथीग[illegible] **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **मिश्रित दूध** का वि[illegible] मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.05 11:27:53 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिश्रित दूध** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिश्रित दूध** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री बद्रीलाल यावद पुत्र श्री जंसीलाल यादव सैम्पल टेकन फ्रोम थार जीप महिन्द्रा डी.आई.आर जे 26 यू.ए. 2849 स्थान जैन नसिया के सामने देवली रोड टोक निवासी ग्राम रहीमपुरा पोस्ट लाम्बा तहसील व जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 25.11. 2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

25-11-2021

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.05 11:27:53 IST
Reason: SelfAttested